न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 55/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।

आवेदक

बनाम

1. हरीशंकर बंसल पुत्र स्व0 श्री दुलीचन्द एफबीओ व पार्टनर–फर्म– श्री लोकेन्द्र इण्डस्ट्रीज, ई–74(ए) बृज इण्डस्ट्रियल ऐरिया भरतपुर निवासी आनन्द मैरिज होम के पास धर्मेन्द्र इण्डस्ट्रीज रणजीत नगर भरतपुर।
2. धर्मेन्द्र कुमार पार्टनर–फर्म– श्री लोकेन्द्र इण्डस्ट्रीज, ई–74(ए) बृज इण्डस्ट्रियल ऐरिया भरतपुर निवासी नई मण्डी भरतपुर।
3. मैसर्स श्री लोकेन्द्र इण्डस्ट्रीज, ई–74(ए) बृज इण्डस्ट्रियल ऐरिया भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i), धारा 26(2)(ii) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006

उपस्थितः–

1. वकील श्री सत्यप्रिय सिंह गैरसायल सं0 1 से 3

निर्णय

दिनांक : 24.01.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i), धारा 26(2)(ii) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायलान दिनांक 19.12.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 1 से 3 के वकील दिनांक 21.08.2019 को उपस्थिति हुये।

इस्तगासा की नकल वकील गैरसायल संख्या 1 से 3 को दी गई। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। नियत दिनांक 24.01.2020 को वकील गैरसायल संख्या 1 से 3 को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 04.01.2018 को दोपहर 12.15 बजे गैरसायलान की फर्म लोकेन्द्र इण्डस्ट्रीज, ई–74(ए) बृज इण्डस्ट्रियल ऐरिया भरतपुर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण फर्म–लोकेन्द्र इण्डस्ट्रीज, ई–74(ए) बृज इण्डस्ट्रियल ऐरिया भरतपुर पर Mustard oil (Raghav) के 20 गत्ता पैक कार्टन जिसमें प्रत्येक में 01 लीटर की 16 पैट बोतल रखी पाई गई थी, जिसका विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर Mustard oil (Raghav) की 1 लीटर की 04 बोतल 360/–रूपये में क्रय की गई तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /15/एक्ट/2018/108 दिनांक 17.01.2018 द्वारा उक्त Mustard oil (Raghav) का नमूना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i), धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायलान ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में उक्त नमूना मात्र मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। जिसे गैरसायलान स्वीकार करते है। जिसका गैरसायलान ने सुधार कर लिया गया है। गैरसायलान छोटे स्तर के व्यापारी है। गैरसायलान Mustard oil (Raghav) का निर्माण करके बेचता चला आ रहा है। गैरसायलान की यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करते है। भविष्य में गैरसायलान अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। वकील गैरसायलान ने गैरसायलान की प्रथम गलती होना वक्त सुनवाई जाहिर किया। अतः गैरसायलान के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैरसायल संख्या 1 से 3 के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 04.01.2018 को गैरसायलान की फर्म लोकेन्द्र इण्डस्ट्रीज, ई–74(ए) बृज इण्डस्ट्रियल ऐरिया भरतपुर से आम जनता के विक्रय हेतु संग्रहित Mustard oil (Raghav) का नमूना लिया गया है। जो

खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.01.2018 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। वकील गैरसायलान ने जाहिर किया कि उक्त Mustard oil (Raghav) का फर्म काफी समय से निर्माण कर विक्रय करती चली आ रहे है। गैरसायलान द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायलान की फर्म ने (Misbranded) Mustard oil (Raghav) का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) Contravene Regulation 2.2.2 (8) and 2.2.2(10) of (Packaging and labeling) Regulation 2011 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायलान के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल संख्या 1 हरीशंकर बंसल पुत्र स्व0 श्री दुलीचन्द पर 5000/– रूपये तथा गैरसायल संख्या 2 धर्मेन्द्र कुमार पार्टनर फर्म पर 5000/–रूपये अर्थात सामूहिक रूप से दोनों को मिलाकर 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 24.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर